महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के परिवहन अधिकारी के कार्यालय में खड़े 7 वृक्षों को नीलाम किया जाना है जिनका ब्यौरा व नीलामी की शर्तें आदि उपमण्डल अधिकारी (बागवानी–2)/कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस या विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mdurohtak.ac.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक खरीददार अपनी बोली मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में दिनांक 09.10.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवा दें।

कुलसचिव

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

वृक्षों की नीलामी सम्बन्धी शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपयें 2,500/- (दो हजार पांच सौ रूपये) अग्रिम राशि वित अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयए रोहतक के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 09.10.2015 को 12 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ये मुहरबन्द निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

2. अग्रिम राशि सिवाए उस व्यक्ति की जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार कर ली जाती हैं, तुरन्त वापिस लौटा दी जायेगी।

3. पेड़ मोल लेने वाले को वृक्ष उठवाने का कार्य अपने खर्च पर करना होगा।

4. निविदा स्वीकृत होने एवं उसकी लिखित सूचना मिलने के 03 दिनों के अन्दर–2 पेड़ो की कटाई का कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है तो वह निविदा रद्द समझी जायेगी व जमा की गई अग्रिम राशी जब्त कर ली जाएगी।

5. पेड़ों की कटाई उनकी जड़ो को निकालना, गढ्ढो को समतल करना व कटे पेड़ो को विश्वविद्यालय प्रांगण से बाहर ले जाने का सारा तमाम कार्य निविदा स्वीकृति के सात दिन की अवधि में पूरा करना होगा। किसी कारण वंश यह कार्य उस समय अवधि में पूरा नहीं होता तो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के सक्षम अधिकारी से उचित कारण के आधार पर स्वीकृति लेकर ही समय अवधि बढ़ायी जा सकती है।

6. नीलामी से सम्बन्धित विवाद के मामले में कुलसचिव, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक का निर्णय/फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

7. वृक्ष/पेड़ "जैसे हैं और जहाँ हैं" के आधार पर ही उखाड़ने व उठवाने होगें।

8. जिस निविदाकार के पक्ष में निविदा छोड़ी जाती है उसे सम्पूर्ण राशि रूपये उद्वधत/कोटीड़ राशी उसी समय जमा करवानी होगी।

9. अगर कोई व्यक्ति पेड़ों/वृक्षों का निरीक्षण करना चाहे तो वह उपमण्डल अधिकारी (बागवानी–2), महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्पर्क करके कर सकता है।

10. पेड़ उखाड़ने व उठवाने का कार्य प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक ही किया जाएगा।

जारी पृष्ठ 2 पर...

11. पेड़ काटने वाले मजदूर विश्वविद्यालय परिसर में सांय 5.00 बजे के बाद नहीं ठहरेगे और प्रातः 8.00 बजे से पहले परिसर में प्रवेश नहीं करेगें।

12. पेड़ो को जड़ों से उखड़वा कर गढ़ढे समतल करना व अन्य मलबा इत्यादि भी निविदाकर्त्ता को साफ करना होगा। यह कार्य उपमण्डल अधिकारी (बागवानी–2) के आदेशानुसार होगा।

13. यदि निविदाकर्त्ता कोई अनुचित कार्य करता हुआ पाया गया तो उस पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना कुलसचिव, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के आदेशानुसार होगा।

14. निविदाकर्त्ता यदि किसी अन्य (निशान के अलावा) पेड़ को कटवाता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध हरियाणा वन सरंक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने के साथ–साथ निविदा को भी तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका सारा सामान और जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. यदि निविदाकर्त्ता अथवा कोई मजदूर इस निविदा की सारी प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो कुलसचिव महोदय उचित समझे निविदाकर्त्ता को करनी होगी।

16. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

17. अन्य शर्ते यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौकें पर कर दी जाएगी।

कुलसचिव,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।

Endst. No. EE/2015 / 5127-60 Dated: 1/10/15

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintending Engineer, PWD B&R Circles, Rohtak
2. Technical Advisor to VC, MDU, Rohtak
3. Executive Engineer(C-II), MDU, Rohtak
4. Executive Engineer, PWD B&R (Medical College), Rohtak / KUK / HAU. Hisar / GJU, Hisar / CDLU, Sirsa / BPS Women University, Khanpur/ DBSCRU, Murthal
5. P.A. to Vice-Chancellor (for kind information of the worthy Vice-Chancellor), M. D. University, Rohtak
6. P.A. to Registrar (for kind information of the Registrar), MDU, Rohtak
7. Divisional Accountant/HDM, Engg. Cell, MDU, Rohtak

8. SDE(C-I, II, III) / SDE (Elect.) / SDE (PH) / SDE (Horti.-I, II), MDU, Rohtak
9. Notice Board
10. Contractor/Agency/Society:____________________________________

Executive Engineer(~~C-II~~)